तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
30/7/2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की खुद की पैदाकर्ता सम्पति नहीं है जो कि उसे अपने पिता अर्जनराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा है। जिसे अप्रार्थी रहन बैय करने पर उतारू है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने वाद भूमि के पैतृक होने के सबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नही किये है तथा प्रार्थीगण ने वाद भूमि अप्रार्थी के नाम जरिये विरास्तन इन्तकाल प्राप्त होना बताया है लेकिन विरास्तन इन्तकाल की नकल प्रस्तुत नहीं की है तथा पैतृक भूमि के संबंध में जो रिकार्ड प्रस्तुत किया है उसका भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मिलान नहीं हो रहा है तथा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 17.12.2019 को अप्रार्थी सं. 2 को 0.759 है. भूमि सप्रतिफल देकर विक्रय की थी। प्रार्थीगण पंजीकृत बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना इस प्रार्थना पत्र में याचित कथित खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व अप्रार्थीया सं. 2 के जबाब आदि से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हिस्सा में दर्ज भूमि में से 0.759 है. भूमि अप्रार्थीया सं. 2 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी है। उक्त विक्रय पत्र किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तथा प्रार्थीगण ने भी वादभूमि के पैतृक होने के संबंध मे कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, साम्य न्याय का सिद्धान्त व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में है। अतः उपरोक्त विवेचन आदि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.06 12:05:32 IST
Reason: SelfAttested